

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 461]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 सितम्बर 2014—आश्विन 7, शक 1936

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 12-32-2013-पच्चीस-4.—राज्य शासन एतद्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति गठित करने की करता है. उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन निम्नानुसार संरचना के साथ किया जाये:—

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1. | अनुविभागीय अधिकारी  | अध्यक्ष |
| 2. | जनपद पंचायत के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपखण्ड में,<br>तथा ग्राम पंचायत स्तर पर दो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांकित.  | सदस्य   |
| 3. | अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस   | सदस्य   |
| 4. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत   | सदस्य   |
| 5. | कैंटोनमेंट बोर्ड (यदि कोई हो)   | सदस्य   |
| 6. | उपखण्ड में स्थित रेल्वे का प्रतिनिधि  | सदस्य   |
| 7. | हाथ से मैला उठाने के कर्मियों के प्रतिबंध और पुनर्वास के लिए कार्य करने वाले संगठन से संबद्ध अधिकतम दो सामाजिक कार्यकर्ता, अथवा कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले में निवासरत् सफाईकर्मी समुदाय से संबंधित प्रतिनिधि जिनमें से 1 महिला हो. | सदस्य   |

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 8. | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का उपखण्ड अधिकारी  | सदस्य सचिव |
| 9. | विभाग और अभिकरण के उपखण्ड स्तरीय अधिकारी जो राज्य शासन या जिला कलेक्टर के अधिनियम के संबंध में दिये गये किसी भी सामान्य निर्देशों के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेंगे. | सदस्य      |

2. इस समिति के निम्न कार्य होंगे:—

1. अधिनियम और इसके तहत बनाये गये नियम के प्रावधानों का उचित विधि से पालन सुनिश्चित करने के लिए सलाह देना या कार्यवाही प्रस्तावित करना.
2. हाथ से मैला ढोने वालों की आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की देख-रेख करना.
3. पुनर्वास के लिये पर्याप्त ऋण channelize करने की दृष्टि से सभी संबंधित एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करना.
4. इस अधिनियम के तहत अपराधों के पंजीकरण, जांच और अभियोजन का अनुश्रवण करना.

3. समिति अधिनियम के क्रियान्वयन का पालन प्रतिवेदन नियमित रूप से जिला सतर्कता समिति को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सचिन्द्र राव, अवर सचिव.